जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 04-09-2021**

आज दिनांक 04.09.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता अबरार अहमद पुत्र शहीद निवासी साफियाबाद थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 284 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- कां0 अरविन्द यादव, कां0 विरेन्द्र कुमार।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 13 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा विवाद मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1495 को थाना मेहदावल क्षेत्रान्तर्गत बाराखाल से इवेन्ट संख्या 12856 से कालर ने किसी बात को लेकर दो पक्षों के विवाद मे एक व्यक्ति के घायल होने के संबंध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 05 मिनट में पहुँचकर घायल व्यक्ति को जरिए एंबुलेंस से सीएचसी मेहदावल भेजवाया गया तथा घटना के संबंध मे थाना मेहदावल को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 अशोक प्रसाद, आ0 विनोद यादव, आ0चा0 रामपाल।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 94 वाहनो से 84,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.09.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 94 वाहनो से 84,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।